राष्ट्रीय बालिका दिवस -I

DIGI PAGE

Subject - G.A. Date of Release - 26 JAN 2018

देश प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं, समाज में बालिकाओं के लिए समान स्थिति और स्थान स्वीकार करते है और एक साथ मिलकर हमारे समाज में बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव और असमानता के विरूद्ध संघर्ष का संकल्प लेते हैं। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक चिंता का विषय है कि देश में वर्ष 1961 से ही बाल लिंग अनुपात तेजी से गिरता रहा है। हम वर्ष 2017 में है और 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक को पूरा करने जा रहे है, लेकिन हम विचारधारा को बदलने में सफल नहीं हुए है।

- एक शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला और कार्य स्थल तथा घर में सम्मानित महिला के लिए यह वास्तविकता जानकर कठिनाई होती है कि भारतीय समाज में सभी वर्गों में बड़ी संख्या में लोग बेटा होने की इच्छा रखते हैं और नहीं चाहते कि उन्हें बेटी हो। ऐसे लोग भ्रूण हत्या की सीमा तक जाते हैं।

- विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लड़कियों द्वारा ऊंची उपलब्धि हासिल करने के बावजूद भारत में जन्म लेने वाली अधिकतर लड़कियों के लिए यह कठोर वास्तविकता है कि लड़कियां शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों और बाल विवाह से सुरक्षा के अधिकार से वंचित हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, प्रताड़ित और हिंसा की शिकार हैं। जनगणना आंकड़ों के अनुसार बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) 1991 के 945 से गिरकर 2001 में 927 हो गया और इसमें फिर 2011 में गिरावट आई और बाल लिंग अनुपात 918 रह गया। यह महिलाओं के कमजोर होने का प्रमुख सूचक है, क्योंकि यह दिखाता है कि लिंग आधारित चयन के माध्यम से जन्म से पहले भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है और जन्म के बाद भी भेदभाव का सिलसिला जारी रहता है।

- लड़कियों के साथ व्यापक स्तर पर सामाजिक भेदभाव तथा नैदानिक उपायों की उपलब्धता और दुरूपयोग दोनों के कारण बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में कमी आई है। इस वास्तविकता से निपटना था और परिणामस्वरूप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना लागू की गई है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश में विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है।

- 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई बीबीबीपी योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े अन्य विषयों का समाधान करना है। दो वर्ष पुरानी यह योजना तीन मंत्रालयों-महिला तथा बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधान तथा विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। यह योजना अनूठी है और मनोदशा रिवाजों तथा भारतीय समाज में पितृसत्ता की मान्यताओं को चुनौती देती है।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति अपनाई गई है। इसमें लोगों की सोच को बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना स्थानीय नवाचारी उपायों से समुदाय तक पहंचने पर बल देना, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गर्भ पूर्व तथा जन्म पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम लागू करना और स्कूलों में लड़कियों के अनुकूल संरचना बनाकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा के अधिकार को कारगर ढंग से लागू करना शामिल है।

For Free Study Material Visit: http://www.mahendraguru.com

To Practice More Online Tests Buy From: https://myshop.mahendras.org
For Free Video Tutorials Subscribe Mahendra Guru YouTube Channel